न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
106 / 2024	30 / 07 / 2024	27 / 08 / 2025

1. मंजूलाबेन शाह पत्नि ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी 49, स्नेहकुंज सोसायटी मालगोदाउन रोड, महेसाना गुजरात।

वादिया

बनाम

1. अक्षित पुत्र मुकेश कुमार
2. गीता देवी पत्नि मोहनलाल
3. गोविन्द पुत्र राजेन्द्र
4. दिव्यांशी पुत्री मुकेश कुमार
5. पुष्पा देवी पत्नि राजेन्द्र
6. मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्र
7. रमेश पुत्र भौरीलाल
8. राजेश कुमार पुत्र मोहनलाल
9. रामेश्वर पुत्र सूरज
10. सतीश कुमार पुत्र राजेन्द्र
11. सुधा देवी पत्नी मुकेश कुमार
    समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
13. उप पंजियक आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
14. नरेन्द्र कुमार बैद पुत्र रायचन्द जाति जैन निवासी बी–3 नेजाती सुभाष नगर 1 नीयर बरकत नगर, किशन मार्ग गांधीनगर जयपुर।
15. विवेक कुमार लढा पुत्र गिरधर दास लढा जाति माहेश्वरी निवासी 13 गोविन्द मार्ग आदर्श नगर जवाहर नगर जयपुर।
16. संदीप बैद पुत्र रायचन्द जाति जैन निवासी बी–3 नेताजी सुभाष नगर 1 नीयर बरकत नगर किशन मार्ग गांधीनगर जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री लल्लू प्रसाद गुर्जर :– वकील वादी।

श्री हिम्मत सिंह राघव :– वकील प्रतिवादी सं0 14, 15, 16

दावां बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादिया की ओर से एड0 श्री लल्लू प्रसाद गुर्जर ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्तं भूमि खाता सं0 305 के खसरा नम्बर 131 रकवा 2.0300है0 ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से व रास्ता तथा कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 26.05.2024 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी ने आपत्ति कुर्रेजात पेश की। वकील उभय पक्षों की बहस प्राप्त कुर्रेजात आपत्ति पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली में कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्राप्त आपत्ति को खारिज किया जाता है तथा वाद में प्राप्त कुर्रेजात को स्वीकार कर वाद में निर्णय किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
305	नरेन्द्र कुमार बैद पुत्र रायचन्द हि0 1/6, जाति जैन निवासी बी–3 नेताजी सुभाष नगर 1 नीयर बरकत नगर, किशन मार्ग गांधीनगर जयपुर खातेदार, विवेक कुमार लढा पुत्र गिरधर दास लढा हि0 1/3 जाति माहेश्वरी निवासी 13 गोविन्द मार्ग आदर्श नगर जवाहर नगर जयपुर खातेदार, मंजूलाबेन शाह पत्नि ओमप्रकाश हि0 1/3 जाति महाजन निवासी 49, स्नेहकुंज सोयायटी मालगोदाउन रोड, महेसाना गुजरात खातेदार, संदीप बैद पुत्र रायचन्द हि0 1/6 जाति जैन निवासी बी–3 नेताजी सुभाष नगर 1 नीयर बरकत नगर किशन मार्ग गांधीनगर जयपुर खातेदार।	131	2.0300	बारानी 3	4.06
	योग	किता 1	2.0300	–	–

—: प्रस्तावित :—

कम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	मंजूलाबेन शाह पत्नि ओमप्रकाश हि0 1/3 जाति महाजन निवासी 49, स्नेहकुंज सोयायटी मालगोदाउन रोड, महेसाना गुजरात खातेदार	131/1	0.6766	बारानी 3	–
	योग	किता 1	0.6766	–	–
2	नरेन्द्र कुमार बैद पुत्र रायचन्द हि0 1/2, संदीप बैद पुत्र रायचन्द हि0 1/2 जाति जैन निवासी बी–3 नेताजी सुभाष नगर 1 नीयर बरकत नगर किशन मार्ग गांधीनगर जयपुर खातेदार।	131/2	0.6766	बारानी 3	–
	योग	किता 1	0.6766	–	–
3	विवेक कुमार लढा पुत्र गिरधर दास लढा हि0 पूर्ण जाति माहेश्वरी निवासी 13 गोविन्द मार्ग आदर्श नगर जवाहर नगर जयपुर खातेदार,	131/3	0.6768	बारानी 3	–
	योग	किता 1	0.6768	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इक्ताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

मंजूलाबेन बनाम अक्षित वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 106 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री लल्लू प्रसाद गुर्जर अधिवक्ता वादीगण व श्री हिम्मत सिंह राघव अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 14, 15, 16 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खावण्डिया, पटवार हल्का खावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
05	नरेन्द्र कुमार बैद पुत्र रायचन्द हि0 1/6, जाति जैन निवासी बी–3 नेजाती सुभाष नगर 1 नीयर बरकत नगर, किशन मार्ग गांधीनगर जयपुर खातेदार, विवेक कुमार लढा पुत्र गिरधर दास लढा हि0 1/3 जाति माहेश्वरी निवासी 13 गोविन्द मार्ग आदर्श नगर जवाहर नगर जयपुर खातेदार, मंजूलाबेन शाह पत्नि ओमप्रकाश हि0 1/3 जाति महाजन निवासी 49, स्नेहकुंज सोयायटी मालगोदाउन रोड, महेसाना गुजरात खातेदार, संदीप बैद पुत्र रायचन्द हि0 1/6 जाति जैन निवासी बी–3 नेताजी सुभाष नगर 1 नीयर बरकत नगर किशन मार्ग गांधीनगर जयपुर खातेदार।	131	2.0300	बारानी 3	4.06
	योग	किता 1	2.0300	–	–

–: प्रस्तावित :–

क्रम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	मंजूलाबेन शाह पत्नि ओमप्रकाश हि0 1/3 जाति महाजन निवासी 49, स्नेहकुंज सोयायटी मालगोदाउन रोड, महेसाना गुजरात खातेदार	131 / 1	0.6766	बारानी 3	–
	योग	किता 1	0.6766	–	–
2	नरेन्द्र कुमार बैद पुत्र रायचन्द हि0 1/2, संदीप बैद पुत्र रायचन्द हि0 1/2 जाति जैन निवासी बी–3 नेताजी सुभाष नगर 1 नीयर बरकत नगर किशन मार्ग गांधीनगर जयपुर खातेदार।	131 / 2	0.6766	बारानी 3	–
	योग	किता 1	0.6766	–	–
3	विवेक कुमार लढा पुत्र गिरधर दास लढा हि0 पूर्ण जाति माहेश्वरी निवासी 13 गोविन्द मार्ग आदर्श नगर जवाहर नगर जयपुर खातेदार,	131 / 3	0.6768	–	–
	योग	किता 1	0.6768	–	–

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 27/08/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18–21)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

दायर दिनांक 30.07.2024

मुकदमा नं0:– 106 / 2024

मंजूलाबेन शाह   बनाम   अक्षित वगै0

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश   दिनांक 26.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए. एस. व हाजिर श्री लल्लू प्रसाद गुर्जर वकील वादीगण एवं श्री हिम्मत सिंह राघव प्रतिवादी सं0 14, 15, 16 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खाता सं0 305 के खसरा नम्बर 131 रकबा 2. 0300है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं रास्ता तथा कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस–नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग–अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 26 / 05 / 2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner